

क्र.231/एमपीआईडीसी/स्था.-से.नि. 17/2023/8867

भोपाल, दिनांक : 04/10/2023

// आदेश //


एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल में सहायक यंत्री पद की सीधी भर्ती के लिए एम.पी. ऑनलाईन, भोपाल के पत्र क्रमांक एमपीओ/बीडी/13027, दिनांक 25.09.2023 द्वारा उपलब्ध कराई गई चयन सूची सह प्रतीक्षा सूची अनुसार निम्नांकित चयनित अभ्यर्थियों को वेतनमान लेवल-12 रु0 56100-177500 (सातवाँ वेतनमान) में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 2 वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर सहायक यंत्री (सिविल) पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गये स्थान पर अस्थाई रूप से अगामी आदेश तक एतद्वारा पदस्थ किया जाता है :-

क्र	अभ्यर्थी का नाम	वर्तमान पता	पदस्थापना का स्थल
1	श्री दीपक गर्ग	म.न. 65/19, स्कीम नं.19, अभिनंदन होटल के पास, जिंद, जिला- जिंद, हरियाणा, पिन कोड - 126102	एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 21, अरेरा हिल्स, भोपाल
2	श्री राजेन्द्र जाट	मुन्दिरों का बस, मेन रोड, ग्राम/पोस्ट-साथिन, पिपाड सिटी, जोधपुर, राजस्थान, पिन कोड - 342601	
3	सुश्री सुशान्तिका सिंह	490/8, कल्पतरू, आनन्द नगर, जिला - रीवा (म.प्र.), पिन कोड - 486001	
4	श्री हेमंत मांदयनिया	19/2, अवन्तीपुरा, अंकपत मार्ग, जिला -उज्जैन (म.प्र.), पिन कोड - 456006	
5	श्री विनीत हरियाले	241, राजौरा रोड, भिलादियां कलां, जिला - होशंगाबाद (म.प्र.), पिन कोड - 461223	
6	सुश्री अनमोल सोनी	बी-47, न्यू मिनाल रेसीडेंसी, जे.के. रोड, जिला- भोपाल (म.प्र.), पिन कोड - 462023	
7	श्री महेंद्र सिंह उडके	बीएसएनएल टावर के पास, माता मोहल्ला, भौरा, जिला-बैतूल (म.प्र.), पिन कोड - 460440	
8	श्री आयुष बमनके	म.न. 50बी, बालाजी हिल्स कॉलोनी, मण्डी रोड, सनावद, जिला - खरगोन (म.प्र.), पिन कोड - 451111	

2. उपरोक्त अधिकारियों की परिबीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि निगम सेवा नियम 2017 एवं राज्य शासन के सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम-1961, म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 एवं शासन के अन्य लागू नियमों के अन्तर्गत शासित होगी।
3. नियुक्त अधिकारी की वरिष्ठता का निर्धारण एम.पी. ऑनलाईन द्वारा उपलब्ध कराई गई चयन सूची की बरीयता अनुसार रहेगा।
4. यह आदेश चयनित अभ्यार्थी द्वारा पुलिस द्वारा किए जाने वाले चरित्र सत्यापन के संबंध में दिये गये शपथ पत्र में दी गई जानकारी के अधीन रहेगा एवं चरित्र सत्यापन के पुलिस प्रतिवेदन में यदि निगम सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।
5. नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने के पश्चात् तत्काल कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है अन्यथा निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी।
6. शासकीय/अर्द्ध शासकीय/विभागों/निकायों में कार्यरत अभ्यार्थियों को कर्तव्य पर उपस्थिति के पूर्व अपने पूर्व नियुक्तिकर्ता अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. यह नियुक्ति आदेश उसी स्थिति में प्रभावशील होगा यदि सम्बंधित अभ्यार्थी शारीरिक दृष्टि से योग्य होने का जिला मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करने के समय प्रस्तुत करेगा।
8. संबंधित अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करते समय कार्यालय में अपने मूल दस्तावेज आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि की मूल प्रति के साथ सत्यापित प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी। इसकी जाँच उपरांत पदस्थापना कार्यालय के संबंधित अधिकारी मूल दस्तावेज अभ्यार्थी को वापस लौटाएंगे एवं इसमें किसी प्रकार की कोई संदेहास्पद स्थिति निर्मित होती है तो अधिकारी को कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जाएगा।
9. इस आदेश से नियुक्त अधिकारी कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारूप में चरित्र सत्यापन हेतु शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण स्थल के कार्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगा।
10. यदि निगम सेवक पदत्याग करना चाहेगा तो वह 01 माह का समयावधि नोटिस अथवा एक माह का वेतन जमा कर सेवा से पृथक हो सकेगा।

11. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम-1994 (क्रमांक 21 सन 1994) के उपबंधों का अधिनियम के उवबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा अधिनियम की धारा-6 की उप धारा (1) उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया गया है।

प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित।



(सी.एस. धुर्वे)

कार्यकारी संचालक

पू.क्र.231/एमपीआईडीसी/स्था.-से.नि. 17/2023/

भोपाल, दिनांक : /10/2023

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. महाप्रबंधक (स्थापना), एमपीआईडीसीलि., मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर अपेक्षित है कि कृपया चरित्र सत्यापन संबंधी शपथ पत्र की मूल प्रति एवं जिला मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों को मूल प्रमाण पत्र से मिलान करते हुए उन्हें प्राप्त करने के उपरन्त ही कार्यभार ग्रहण सूनिश्चित कराएँ।।
3. कार्यकारी संचालक, एमपीआईडीसीलि, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/इन्दौर/जबलपुर/ग्वालियर एवं रीवा।
4. मुख्य अभियंता/मुख्य वित्तीय अधिकारी, एमपीआईडीसीलि., मुख्यालय भोपाल।
5. महाप्रबंधक, (स्थापना/प्रशासन), एमपीआईडीसीलि., मुख्यालय भोपाल।
6. श्री/सुश्री ..... की ओर पालनार्थ प्रेषित तथा सूचित किया जाता है कि आदेश जारी होने के पश्चात् तत्काल निर्धारित कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है अन्यथा नियुक्ति आदेश सम्बन्धित अधिकारी के संदर्भ में निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न :- चरित्र सत्यापन शपथ पत्र प्रारूप

कार्यकारी संचालक

(एमपीआईडीसीलि. में सहायक यंत्री पद पर नियुक्ति)

शपथ पत्र

में .....आयु.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....निवासी.....  
.....शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ-

फोटो

1. यह कि मेरा चयन सहायक यंत्री, एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पद पर हुआ है।
2. यह कि मेरा चरित्र उत्तम है।
3. यह कि मुझे आज दिनांक तक कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है।
4. यह कि मुझ पर आज दिनांक तक किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है।
5. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है।
6. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/ संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है।
7. यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारियाँ दी हैं एवं जो अभिलेख प्रस्तुत किये हैं, वे पूर्णतः सही एवं सत्य हैं।
8. यह कि यदि मेरे द्वारा जो जानकारियाँ दी गई हैं और जो अभिलेख प्रस्तुत किये गए हैं, यदि उनमें कोई भी जानकारी/अभिलेख असत्य पाए जाते हैं, तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरुद्ध असत्य शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो कि मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा।
9. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया गया मेरा नियुक्ति आदेश, चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल प्राप्त होने पर मुझे यदि शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।

शपथगृहीता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथगृहीता .....सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र कड़िका क्रमांक 1 से 9 तक में दी गई समस्त जानकारियाँ मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही हैं, जिनका सत्यापन आज दिनांक.....को.....मेरे द्वारा किया गया है।

शपथगृहीता